



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1947 (श10)

(सं0 पटना 175) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2026

सं०सं०-पि0व0/4/वि0यो0-22-03/2022-226
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

3 फरवरी 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को सशोधित करते हुए कक्षा-I से IV तक रू0 1200/- वार्षिक, कक्षा-V से VI तक रू0 2400/- वार्षिक, कक्षा-VII से X तक रू0 3600/- वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रू0 6000/- वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रवृत्ति दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 17,51,56,00,000/- (रू0 सत्रह सौ इक्यावन करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या-67 दिनांक-10.01.2023 के द्वारा राज्य योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा-I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर कक्षा-I से IV तक रू0 600/- वार्षिक, कक्षा-V से VI तक रू0 1200/- वार्षिक, कक्षा-VII से X तक रू0 1800/- वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रू0 3000/- वार्षिक के आधार पर एकमुश्त भुगतान की जा रही थी।

2. उक्त योजनान्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या-53 दिनांक-12.11.2012 के द्वारा तत्कालीन संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत दिनांक-01.04.2012 के प्रभाव से कक्षा-I से X के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति दर पर ही राशि उपलब्ध करायी जा रही थी।

3. राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दर में विगत 13 वर्षों के दौरान कोई वृद्धि नहीं की गयी थी। वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए उक्त छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि की आवश्यकता पर विचार किया गया, ताकि सरकारी संस्थान में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अधिकतम छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा सके।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा-I से IV तक रु० 1200/- वार्षिक, कक्षा-V से VI तक रु० 2400/- वार्षिक, कक्षा-VII से X तक रु० 3600/- वार्षिक, कक्षा I से X तक (छात्रावासी) रु० 6000/- वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रवृत्ति दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु० 17,51,56,00,000/- (रु० सत्रह सौ इक्यावन करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. योजना अंतर्गत उपर्युक्त वर्द्धित (पुनर्निर्धारित) दर दिनांक-01.04.2025 से प्रभावी होगा।

6. बजट भीर्ष-

राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष के तहत भारित होंगे:-

(क) लघु शीर्ष-197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की सहायता, उप शीर्ष-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय शीर्ष-31 सहायता अनुदान (0101-31-06-सहायता अनुदान-गैर वेतन), विपत्र कोड 11-2225031970101

(ख) लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता, उप शीर्ष-0101 छात्रवृत्ति/वजीफा, विषय शीर्ष-31 सहायता अनुदान (0101-31-06- सहायता अनुदान गैर वेतन), विपत्र कोड 11-2225031980101

(ग) लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-34- छात्रवृत्ति/वजीफा (0101-34-01-छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड-11- 2225032770101

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-29.01.2026 में मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच०आर० श्रीनिवास,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 175-571+10-डी०टी०पी०

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>